

फर्द एहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....जोतम.....बनाम.....प. क. 12.....

किस्म मुकदमा.....मुकदमा नं.....सन्.....

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय

12  
18/24

पतावली आप पेस हुई, घादी व उनके वकील  
उप० नहीं, बार-बार आवाप्य दिलाई गयी,  
सांय ०५ बजे तक आवाप्य दिलाई गयी,  
परन्तु वादी व उनके वकील उप० नहीं  
अतः पतावली अदम पैरवी अदम हाप्यरी  
में रवारिप्य ही जाती है पतावली-कैसल  
शुमार होकर दाखिल दफतर हो। १

उपखण्ड अधिकारी  
(सीकरी (डीग) राज०)